

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2022

विषय : आई0सी0डी0एस0 सामान्य के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं कार्मिकों के वेतनादि हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बंध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1006/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या-49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रु0 223440.27 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-24/2021/1285/58-1-21-2/3(2)17 टीसी-ए, दिनांक 07 अप्रैल, 2021 द्वारा रु0 50176.00 लाख (रुपया पांच अरब एक करोड़ छिहत्तर लाख मात्र), शासनादेश संख्या-32/2021/1862/58-1-21-2/3(2)17 टीसी-ए, दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा रु0 27935.00 लाख (रुपया दो अरब उन्यासी करोड़ पैंतीस लाख मात्र), शासनादेश संख्या-44/2021/3203/58-1-21-2/3(2)17टीसी-ए, दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 द्वारा रु0 34364.67 लाख (रुपया तीन अरब तैतालीस करोड़ चौंसठ लाख सड़सठ हजार मात्र), शासनादेश संख्या-8/2022-/30/ 58-1-2022-2/3(2)17 टीसी-ए, दिनांक 10 फरवरी, 2022 द्वारा रु0 3313.73 लाख केन्द्रांश (रुपया तैंतीस करोड़ तेरह लाख तिहत्तर हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या-10/2022-/331/58-1-2022-2/3(2)17टीसी-ए, दिनांक 28 फरवरी, 2022 द्वारा रु0 40406.40 लाख (रुपया चार अरब चार करोड़ छः लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है ।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु संलग्नक में उल्लिखित योजनाओं में उपशीर्षकों के अन्तर्गत दिये गये मानक-मदवार विवरण के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रुपये 223440.27 लाख के सापेक्ष **राज्यांश रु0 3934.72 लाख** (रु0 उनतालीस करोड़ चौंतीस लाख बहत्तर हजार मात्र) (संलग्नक की तालिका के कालम-7 के अनुसार) की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा ।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा ।
- (3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा । उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा । यदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(7) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(8) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(10) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(11) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102 (संशोधित 8902)-समन्वित बाल विकास योजना तथा 0104 (संशोधित 8904)-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत इकाईयों" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-4-3498-X-2021-22, दिनांक 21 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्ता

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

संयुक्त सचिव।

संख्या-19 /2022/377(1) /58-1-22-2/3(2)17टीसी-ए, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

संयुक्त सचिव।

संख्या-19 /2021/377 /58-1-22-2/3(2)17टीसी-ए, दिनांक 30 मार्च, 2022 का संलग्नक

0102 (संशोधित 8902)-समन्वित बाल विकास योजना (वेतन व भत्ते-के.25/रा.75, अन्य के.60/रा.40-के.+रा.) (रु० लाख)

मानक मद	आय-व्ययक अनुमान 2021-22	जारी स्वीकृतियां	अवशेष स्वीकृतियां	मांग	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7
01-वेतन (के.25/रा.75)	29277.60	14125.00	15152.60	2000.00	500.00	1500.00
03-महंगाई भत्ता (के.25/रा.75)	8783.28	3662.67	5120.61	620.00	155.00	465.00
07-मानदेय (के.60/रा.40)	150000.00	90166.67	59833.33	4000.00	2400.00	1600.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (के.60/रा.40)	2175.90	1086.67	1089.23	270.00	162.00	108.00
55-मकान किराया भत्ता (के.25/रा.75)	1439.10	720.00	719.10	180.00	45.00	135.00
योग-	191675.88	109761.01	81914.87	7070.00	3262.00	3808.00
0104 (संशोधित 8904)-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (वेतन व भत्ते-के.25/रा.75, अन्य के.60/रा.40-के.+रा.)						
01-वेतन (के.25/रा.75)	827.40	504.00	323.40	100.00	25.00	75.00
03-महंगाई भत्ता (के.25/रा.75)	248.22	126.00	122.22	33.00	8.25	24.75
06-अन्य भत्ता (के.25/रा.75)	3.00	167.00	1.33	0.30	0.08	0.22
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (के.60/रा.40)	164.70	81.00	83.70	20.00	12.00	8.00
55-मकान किराया भत्ता (के.25/रा.75)	188.28	98.67	89.61	25.00	6.25	18.75
योग-	1431.60	976.67	620.26	178.30	51.58	126.72
						3934.72

(रु० उनतालीस करोड़ चौतीस लाख बहत्तर हजार मात्र)

(महावीर प्रसाद गौतम)

संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।